



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939

No. 520]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASADHA 2, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून 2017

सा.का.नि.629(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये 1 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-
 - (i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(कक) "उपभोक्ता" का वही अर्थ होगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उसका है;
 - (ii) खंड (खग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(खग) "संस्थागत उपभोक्ता" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो उस संस्थान द्वारा उपयोग के लिए और न कि वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक प्रयोजनों के लिए सीधे ही विनिर्माता से या किसी आयातकर्ता से या थोक ब्यौहारी से पैकेज में रखी ऐसी वस्तुएं खरीदता है जिन पर 'खुदरा बिक्री के लिए नहीं' की घोषणा होगी';
 - (iii) खंड (खग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(खघ) “ई-कामर्स” से, डिजीटल और इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजीटल उत्पादों सहित माल और सेवाओं का क्रय और विक्रय अभिप्रेत है;

(खड) “ई-कामर्स अस्तित्व” से, कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निगमित ऐसी कोई कम्पनी या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (42) के अंतर्गत आने वाली कोई विदेशी कम्पनी, या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (v) के उप-खंड (ii) के अंतर्गत आने वाला, भारत में स्थित कोई कार्यालय, शाखा अथवा अभिकरण अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो और जो ई-कामर्स व्यापार करता हो।

(खच) “ई-कामर्स का बाज़ार आधारित मॉडल” से, किसी ई-कामर्स अस्तित्व द्वारा क्रेता और विक्रेता के बीच सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए डिजीटल और इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी मंच उपलब्ध कराना अभिप्रेत है।

(iv) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ड) “खुदरा विक्रय मूल्य” से, ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैकबंद रूप में वस्तुओं का उपभोक्ता को विक्रय किया जा सकेगा इसके अंतर्गत सभी कर भी होंगे;

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3 अध्याय का लागू होना- इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, -

25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा में वस्तुओं के पैकेट;

(क) सीमेन्ट, उर्वरक, और 50 किलोग्राम से अधिक के बैगों में बेचे जाने वाले कृषि फार्म उत्पाद; और

(ख) औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए विनिर्मित पैकबंद वस्तुएं”।

4. उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (1) में-

(क) खंड (क) में स्पष्टीकरण III के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण III – पैकबंद खाद्य वस्तुओं के संबंध में, इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे, किंतु, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं लागू होंगी”।

(ख) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(कक) आयातित उत्पादों की दशा में पैकेज पर उद्गम देश या विनिर्माता या जोड़ने वाले देश के नाम का उल्लेख किया जाएगा”।

(ग) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(घक) यदि किसी पैकेट में ऐसी कोई वस्तु है जो एक समयावधि के पश्चात् मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं रह सकेगी तो लेबल पर “से पूर्व अथवा तारीख, माह, वर्ष तक उपयोग करें” का भी उल्लेख होगा;’

परंतु इस खंड की कोई बात तक लागू नहीं होगी यदि इस संबंध में किसी अन्य विधि में कोई उपबंध बनाया गया है।

स्पष्टीकरण -1 इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) “से पूर्व” से वह तारीख अभिप्रेत है जो किन्हीं उल्लिखित भंडारण परिस्थितियों के अधीन उस अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती है, जिनके दौरान उत्पाद पूर्णतः विपणनयोग्य रहेगा और उसमें वह गुणवत्ता प्रतिधारित रहेगी जिसका दावा किया गया है और उस तारीख के पश्चात् भी वह वस्तु उपभोग के लिए सुरक्षित रह सकेगी;

(ख) “तक उपयोग करें” से वह तारीख अभिप्रेत है जो किन्हीं उल्लिखित भंडारण परिस्थितियों ऐसी प्राक्कलन अवधि की समाप्ति को संज्ञापित करती हैं, जिनके पश्चात् उत्पाद में उपभोक्ता द्वारा सामान्यतया प्रत्याशित गुणवत्ता नहीं रहेगी और इस तारीख के पश्चात् वह वस्तु विपणनयोग्य नहीं रहेगी;’

(घ) खंड (ड) में, ‘पैकेज के खुदरा विक्रय मूल्य’ शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

“पैकेज की खुदरा विक्रय कीमत में स्पष्टतः उपदर्शित होगा कि यह सभी कर सहित है; और रूपयों अथवा पैसों में कीमत की गणना निकटवर्ती रूपये अथवा 50 पैसे तक की गई है

दृष्टान्त- खुदरा विक्रय कीमत की घोषणा के लिए :

- (क) अधिकतम खुदरा कीमत रुपये xx.xx (सभी करें सहित), या
- (ख) सभी करें सहित अधिकतम खुदरा कीमत xx.xx रुपये, या
- (ग) सभी करें सहित एम0आर0पी0 xx.xx रुपये या
- (घ) एम0आर0पी0 रुपये xx.xx (सभी करें सहित)'

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) इस नियम की कोई भी बात, किसी विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता को पैकेज पर अनिवार्य घोषणाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित की घोषणा करने के लिए निवारित नहीं करेगी-

- (क) बारकोड या जीटीआईएन या क्यूआर कोड;
- (ख) वस्तु के मात्रा आश्वासन के लिए 'ई-कोड' और अन्य अपेक्षित घोषणाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में उसे अभिप्राप्त करने के पश्चात्;
- (ग) सरकारी स्कीमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, के लोगो, जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका उपयोग प्राधिकृत किया गया हो”;

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(10) कोई ई-कामर्स अस्तित्व यह सुनिश्चित करेगा कि ई-कामर्स संव्यवहार के लिए प्रयोग किए जाने वाले डिजिटल और इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर, वस्तु के विनिर्माण अथवा पैकिंग के मास और वर्ष के सिवाय, उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अनिवार्य घोषणाएं की जाएं;

परन्तु ई-कामर्स के बाज़ार मॉडल की दशा में घोषणाओं के सही होने का उत्तरदायित्व विनिर्माता या विक्रेता या व्यवहारी या आयातकर्ता का होगा यदि,-

- (क) ई-कामर्स अस्तित्व के कृत्य ऐसी संचार प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराने तक सीमित है जिस पर विनिर्माता या विक्रेता या व्यवहारी या आयातकर्ता द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई हो या उसे अस्थायी रूप से भंडारित किया गया या रखा गया हो; या

(ख) अस्तित्व -

- (i) संप्रेषण आरम्भ नहीं करेगा,
- (ii) संप्रेषण के प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करेगा, और
- (iii) संप्रेषण में अन्तर्विष्ट जानकारी का चयन या संशोधन नहीं करेगा;

(ग) अस्तित्व, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय सम्यक तत्परता का पालन करेगा और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का भी पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं;

परन्तु यह और कि बाज़ार ई-कामर्स अस्तित्व के लिए कोई संरक्षण नहीं होगा यदि,-

- (क) अस्तित्व ने, विधि विरुद्ध कार्य करने में धमकी द्वारा या अन्यथा वचनबद्धता द्वारा षडयंत्र या दुष्प्रेरण किया हो या सहायता की हो या उकसाया हो;

(ख) वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर या समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा यह अधिसूचित किए जाने पर कि कोई ऐसी जानकारी, आंकड़े अथवा संसूचना अस्तित्व द्वारा नियन्त्रित कम्प्यूटर संसाधन में रखी गई है अथवा उससे जुड़ी हुई है जिनका उपयोग विधि विरुद्ध कृत्य के लिए किया जा रहा है और अस्तित्व, उस संसाधन से उस सामग्री को साक्ष्य से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना तत्काल हटाने या उस तक पहुंच को निष्क्रिय करने में असफल रहा है;

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-नियम के उपबंधों में, उपभोक्ताओं को परिदत्त की जाने वाली पूर्व-पैकबंद वस्तुओं पर इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणाओं से किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं करेंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 7 में,-

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्,-

“(2) इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणा में किसी अंक और अक्षर की ऊंचाई सारणी-I के अनुसार होगी।”;

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) अंकों की दशा में “1” और अक्षरों में (i), (I) तथा (l) को छोड़कर अक्षरों या अंकों की चौड़ाई उनकी ऊंचाई के एक-तिहाई से कम नहीं होगी;”

(III) सारणी-I के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी-I

क्र.सं.	वर्ग सेंटीमीटर में मुख्य प्रदर्श पैनल का क्षेत्र (क)	अंकों और अक्षरों की न्यूनतम ऊंचाई (मिलिमीटर में)	डिब्बे की सतह पर उकेरे हुए, बनाए हुए या छापे हुए अंकों और अक्षरों की न्यूनतम ऊंचाई (मिलिमीटर में)
	(1)	(2)	(3)
1	$A \leq 50$	1.0	1.5
2	$50 < A \leq 100$	1.5	3.0
3	$100 < A \leq 500$	2.5	4.0
4	$500 < A \leq 2500$	4.0	6.0
5	$2500 < A$	6.0	6.0

(iv) सारणी-II का लोप किया जाएगा;

(v) उपनियम (4) और उपनियम (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(4) क्षेत्र जिसमें शीर्ष भाग, अधोभाग, कैन के शीर्ष और अधोभाग का उभरा हुआ किनारा और बोटल एवं जार की ग्रीवा और स्कन्ध सम्मिलित नहीं हैं, का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) आयताकार पैकेज की दशा में, जहां सम्पूर्ण पक्ष को मुख्य प्रदर्श पैनल पक्ष समझा जा सकता है, उस पक्ष की लम्बाई और चौड़ाई का गुणनफल;

(ख) बेलनाकार या इस प्रकार के पैकेज की दशा में पैकेज की ऊंचाई और उसके दायरे के गुणनफल का 40 प्रतिशत;

(ग) अन्य किसी आकार के पैकेज की दशा में पैकेज की सतह का 40 प्रतिशत या पैकेज का मुख्य प्रदर्श पैनल समझा जाने वाला क्षेत्र।

(5) शुद्ध भार, खुदरा विक्रय कीमत तथा अवसान की तारीख या तारीख के पहले या तारीख तक उपयोग (जहां कही लागू हो) और ग्राहक सेवा संबंधी विवरण की घोषणा करने वाले अंकों और अक्षरों के आकार को छोड़कर, उपनियम (1) से उपनियम (4) के उपबंध ऐसे पैकेज को लागू नहीं होंगे यदि इस नियम के अधीन ऐसे पैकेज पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन दी जानी अपेक्षित है।

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु, यदि बाहरी पैकेज पर इन नियमों के अधीन अपेक्षित सभी घोषणाएं अंतर्विष्ट है तो अंदरूनी पैकेज पर ऐसी कोई घोषणा अपेक्षित नहीं होगी”।

7. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) में -

- (i) पहिले परंतुक में “5 क्यूबिक से.मी. या उससे कम” अंकों, शब्दों तथा अक्षरों के स्थान पर “10 क्यूबिक सेंटीमीटर या उससे कम” अंक, शब्द तथा अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण 1 - इस उपनियम में ‘पूरा पता’ से ऐसा डाक पता अभिप्रेत है जिस पर कारखाना अवस्थित है या कंपनी या फर्म रजिस्ट्रीकृत है, तथा, किसी अन्य दशा में विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता के परिसर की गली का नाम, संख्या (यदि कोई है), और शहर और राज्य का नाम जहां विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता द्वारा व्यापार किया जा रहा है और इसके साथ-साथ पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड, जिससे उपभोक्ता द्वारा विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता की पहचान की जा सके और उसकी अवस्थिति का पता लगाया जा सके। ”

8. उक्त नियमों के नियम 18 में -

- (i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) थोक ब्यौहारी को पूर्व-पैकबंद वस्तुओं को औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को सीधे ही बेचने की अनुज्ञा होगी”

- (ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2क) जब तक किसी अन्य विधि के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो कोई विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित निर्बंधित व्यापार पद्धति या अनुचित व्यापार पद्धति को अंगीकार करते हुए समान पूर्व पैकबंद वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न अधिकतम खुदरा कीमत की घोषणा नहीं करेगा।”

9. उक्त नियमों के नियम 19 में, -

- (क) उपनियम (4) में -

(i) खण्ड (क) में “सांख्यिकीय औसत” शब्दों के स्थान पर “सही औसत” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:- :-

“(ख) उन पैकेजों की संख्या जिनमें कमी में त्रुटि, पांचवी अनुसूची में दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक पाई जाती है; या

(ग) किसी पैकेज में कमी की त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के दोगुने से अधिक है;

(घ) निदेशक, नियन्त्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी विनिर्माता या पैककर्ता से लॉट में रखे गए पैकेजों की शत-प्रतिशत जांच करने की अपेक्षा करेगा और केवल ऐसे पैकेजों के विक्रय, वितरण या डिलीवरी को प्राधिकृत करेगा जिनकी शुद्ध मात्रा में कमी की त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से कम है और विनिर्माता या पैककर्ता को शेष पैकेजों के विक्रय, वितरण या डिलीवरी तभी अनुज्ञापत की जाएगी जब उन्हें यथास्थिति पुनः पैक या पुन लेबल, भी कर दिया जाएगा जिससे अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन हो सके”।

(ख) उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(6) पैकेजों के किसी लॉट का विक्रय के लिए तभी अनुमोदन किया जाएगा, यदि इस नियम के अधीन की गई परीक्षा में यह पाया जाता है कि -

(क) प्रतिदर्श पैकेजों की सही औसत शुद्ध मात्रा, घोषित की गई शुद्ध मात्रा के बराबर या उससे अधिक है;

(ख) अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से कमी में अधिक त्रुटि को दर्शाने वाले पैकेजों की संख्या पांचवी अनुसूची में दी गई सारणी के स्तंभ 4 में दर्शित संख्या से अधिक नहीं है;

(ग) किसी पैकेज में कमी की त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के दोगुने से अधिक दर्शित न हो;

(घ) प्रत्येक पैकेज पर या उस पर लगाए गए लेबल पर इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणाएं होनी चाहिए”।

10. उक्त नियमों में नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“20. विनिर्माता या पैककर्ता के परिसर में पैकेजों का निरीक्षण पूरा होने पर कार्रवाई,- (1) यदि नियम 19 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि,-

(क) नमूनों के रूप में लिए गए पैकेजों में सही औसत शुद्ध मात्रा, पैकेज पर या उस पर लगाए गए लेबल पर घोषित की गई मात्रा से कम है; या

- (ख) यदि किसी पैकेज पर कमी में त्रुटि, पांचवी अनुसूची की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की संख्या से अधिक है; या
- (ग) किसी पैकेज में कमी की त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के दोगुने से अधिक है; या
- (घ) यदि किसी पैकेज पर या उस पर लगाए गए लेबल पर इन नियमों के अधीन की जाने वाली घोषणाएं नहीं हैं; तो निदेशक, नियन्त्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात्:-
- (i) उसके द्वारा नमूने के रूप में लिए गए पैकेजों का अभिग्रहण करेगा और जब तक उन्हें उपयुक्त न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उन अभिग्रहण किए गए पैकेजों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा;
- (ii) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, साक्ष्य के आधार पर उल्लंघनों के सम्बन्ध में कार्रवाई आरंभ करेगा।
- (2) अभिग्रहण किए गए पैकेजों का व्ययन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 26 में,-

- (i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन बनाए गए औषधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 2013 के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित विनिर्मितियां और गैर अनुसूचित विनिर्मितियां अन्तर्विष्ट होंगी: परन्तु औषधि के रूप में घोषित की गई चिकित्सा संबंधी युक्तियों को किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।

- (ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों में नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“32. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना

1. जो कोई भी इन नियमों, के किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करेगा जिसके लिए किसी दंड का उपबंध नहीं है, पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

32 क. अपराधों के प्रथमन के लिए धनराशि- इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के प्रथमन के लिए धनराशि वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	अपराध	प्रथमन के लिए रकम	
(1)	(2)	(3)	
		यदि प्रथमन के लिए आवेदन खुदरा या थोक ब्यौहारी द्वारा दिया गया हो	यदि प्रथमन के लिए आवेदन विनिर्माताओं या आयातकर्ताओं द्वारा दिया गया हो
1.	धारा 29 का उल्लंघन	दो हजार रुपये	दस हजार रुपये
2.	धारा 36 की उप-धारा (1) का उल्लंघन	पांच हजार रुपये	पच्चीस हजार रुपये
3.	धारा 36 की उप-धारा (2) का उल्लंघन	दस हजार रुपये	पचास हजार रुपये

13. उक्त नियमों की, दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में क्रम संख्या 10 के सामने “500 ग्राम”, अंकों और शब्दों के पश्चात् क्रमशः “550 ग्राम, 600 ग्राम, 650 ग्राम” तथा “500 मि.ली”, अंकों और शब्दों के पश्चात् “550 मि.ली, 600 मि.ली, 650 मि.ली” अंक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों की, पांचवी अनुसूची में, -

(i) मद संख्या 1 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	निरीक्षण लॉट का आकार	नमूने का आकार (एन)	संशोधन घटक (सी)	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक किन्तु अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के दोगुने से कम गलती दर्शाने वाले पैकेजों की संख्या
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	100 से 500	50	0.379	3
2.	501 से 3200	80	0.295	5
3.	3200 से अधिक	125	0.234	7"

15. उक्त नियमों की छठी अनुसूची के भाग II में, मद संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“8. माध्यमान या औसत शुद्ध मात्रा या शुद्ध माप का अवधारण-

पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु की शुद्ध मात्रा या शुद्ध माप या लम्बाई या संख्या के पृथक-पृथक मानों का अवधारण, इस भाग की मद संख्या 3 से 6 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करने के पश्चात् अलग-अलग मानों (x_i) को जोड़कर और इसे परीक्षण के लिए गए प्रतिदर्श पैकेज की संख्या (एन) से विभाजित करके निम्नलिखित फार्मूले द्वारा माध्यमान या औसत मान की गणना की जाएगी-

$$\text{औसत शुद्ध मान } (\bar{x}) = \sum x_i / n$$

9. मानों के मानक विचलन का अवधारण

अलग-अलग मानों [x_i] के मानक विचलन (σ) का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जाता है-

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}; \text{ जहां,}$$

x_i = शुद्ध मात्रा/शुद्ध माप/लम्बाई/संख्या के अलग-अलग मान को दर्शाता है,

$\bar{x}$ = शुद्ध मात्रा या शुद्ध माप/लम्बाई या संख्या के औसत अथवा माध्य मान को दर्शाता है।

10. संशोधित औसत शुद्ध मात्रा या शुद्ध माप -

सही औसत शुद्ध मात्रा X_c का निर्धारण, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए, औसत शुद्ध मात्रा के मान $[\bar{x}]$ से किया जाता है -

$$X_c = \bar{x} + (\sigma \times C), \quad \text{जिसमें } C \text{ सही घटक है"}।$$

16. उक्त नियमों की, सातवीं अनुसूची में,-

(क) प्ररूप क की, वस्तु के वर्गीकरण से सम्बन्धित पंक्ति ख में, स्तंभ (2) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“लॉट का आकार: प्रतिदर्श का आकार: अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि (जी)”

(ख) प्ररूप ख में, वस्तु के वर्गीकरण से सम्बन्धित पंक्ति ख में, स्तंभ (2) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“लॉट का आकार: प्रतिदर्श का आकार: अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि”

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.10(4)/2016]

पी.वी.रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव,

टिप्पणी:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.858(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2017

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-

1. (1) Short title and commencement.- These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2018.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(aa) “Consumer” shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);’;

(ii) for clause (bc), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(bc) “institutional consumer” means the institution which buys packaged commodities bearing a declaration ‘not for retail sale’, directly from the manufacturer or from an importer or from wholesale dealer for use by that institution and not for commercial or trade purposes;’;

(iii) after clause (bc), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(bd) “E-commerce” means buying and selling of goods and services including digital products over digital and electronic network;’

(be) “E-commerce entity” means a company incorporated under the Companies Act, 1956 or the companies Act, 2013 or a foreign company covered under clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013, or an office, branch or agency in India covered under sub-clause (ii) of clause (v) of section 2 of the foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) owned or controlled by a person resident outside India and conducting e-commerce business;

(bf) “marketplace based model of e-commerce” means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital and electronic network to act as a facilitator between buyer and seller;’;

(iv) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(m) “retail sale price” means the maximum price at which the commodity in packaged form may be sold to the consumer inclusive of all taxes;’;

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Application of Chapter.- The provisions of this chapter shall not apply to-

(a) packages of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre;

(b) cement, fertilizer and agricultural farm produce sold in bags above 50 kilogram; and

(c) packaged commodities meant for industrial consumers or institutional consumers.”.

4. In the said rules, in rule 6,-

(i) in sub-rule (1).-

(a) in clause (a), for *Explanation III*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

“Explanation III. - In respect of packages containing food articles, the provisions of this clause shall not apply, but the provisions of, and the requirements specified in the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder shall apply;”;

(b) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) The name of the country of origin or manufacture or assembly in case of imported products shall be mentioned on the package;”;

(c) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(da) If a package contains a commodity which may become unfit for human consumption after a period of time, the ‘best before or use by the date, month and year’ shall also be mentioned on the label:

Provided that nothing in this clause shall apply if a provision in this regard is made in any other law.

Explanation.- 1. For the purposes of this sub-rule,-

(a) the expression “best before” means the date which signifies the end of the period under any stated storage conditions during which the product shall remain fully marketable and shall retain any specific qualities for which tacit or express claims have been made and beyond the date commodity may still be safe for consumption;

(b) the expression “Use by Date” means the date which signifies the end of the estimated period under any stated storage conditions after which the product shall not have the quality attributes normally expected by the consumers and after this date, the commodity should not be regarded as marketable.’;

(d) in clause (e), after the words “the retail sale price of the package;”, the following words and figures shall be inserted, namely:-

“shall clearly indicate that it is the maximum retail price inclusive of all taxes and the price in rupees and paise be rounded off to the nearest rupee or 50 paise;

Illustrations.- for declaration of retail sale price:

(a) Maximum or Max. retail price Rs. or ₹xx.xx (inclusive of all taxes), or

(b) Maximum or Max. retail price Rs. or ₹xx.xx inclusive of all taxes, or

(c) MRP Rs. or ₹xx.xx incl. of all taxes, or

(d) MRP Rs. or ₹xx.xx (incl. of all taxes):”

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4A) Nothing in this rule shall preclude a manufacturer or packer or importer to declare the following on the package, in addition to the mandatory declarations-

(a) Barcode or GTIN or QR Code;

(b) ‘e-code’ for net quantity assurance of the commodity and other required declarations, after obtaining the same in the manner as specified by the Central Government;

(c) logos of Government schemes, such as Swatch Bharat Mission, where such use is authorised by the Central Government.”;

(iii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(10) An E-Commerce entity shall ensure that the mandatory declarations as specified in sub-rule (1), except the month and year in which the commodity is manufactured or packed, shall be displayed on the digital and electronic network used for e-commerce transactions:

Provided that in case of market place model of e-commerce, responsibility of the correctness of declarations shall lie with the manufacturer or seller or dealer or importer if,-

(a) the function of the e-commerce entity is limited to providing access to a communication system over which information made available by the manufacturer or seller or dealer or importer is transmitted or temporarily stored or hosted; or

(b) the entity does not-

- (i) initiate the transmission;
- (ii) select the receiver of the transmission; and
- (iii) select or modify the information contained in the transmission;

(c) the entity observes due diligence while discharging its duty as an intermediary under the Information Technology Act, 2000 and also observes such other guidelines as the Central Government may prescribe in this behalf:

Provided further that there shall not be any protection to the market place e-commerce entity if,-

(a) the entity has conspired or abetted or aided or induced, whether by threats or promise of otherwise in the commission of the unlawful act;

(b) upon receiving actual knowledge, or on being notified by the appropriate Government or its agency that any information, data or communication link residing in or connected to a computer resource controlled by the entity is being used to commit the unlawful act, the entity fails to expeditiously remove or disable access to that material on that resource without vitiating the evidence in any manner.

Explanation.- For the removal of doubts it is hereby clarified that the provision of this sub -rule shall not provide exemption from the declarations required to be made under these rules on pre-packaged commodities delivered to the consumers.”.

5. In the said rules, in rule 7,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The height of any numeral and letter in the declaration required under these rules shall be as per Table-I.”;

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The width of the letter or numeral shall not be less than one third of its height ,except in the case of numeral “1” and letters (i), (I) and (l);”.

(iii) For the Table-I, the following table shall be substituted, namely:-

“Table-I			
Serial Number	Area of Principal display panel in square centimeters (A)	Minimum height of numerals and letters in millimeters	Minimum height of numerals and letters when blown, formed or molded on surface of container in millimeters
	(1)	(2)	(3)
1	$A \leq 50$	1.0	1.5
2	$50 < A \leq 100$	1.5	3.0
3	$100 < A \leq 500$	2.5	4.0
4	$500 < A \leq 2500$	4.0	6.0
5	$2500 < A$	6.0	6.0”;

(iv) Table II shall be omitted;

(v) for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall respectively, be substituted, namely.-

“(4) The area not including the top, bottom, flange at top and bottom of cans, and shoulders and neck of bottle and jars shall be determined in the following manner, namely:-

(a) in the case of a rectangular package, where one entire side can properly be considered to be the principal display panel side, the product of the height multiplied by the width of that side;

(b) in case of a cylindrical or nearly cylindrical package, 40 per cent. of the product of the height of the package multiplied by the circumference;

(c) in case of any other shaped package, 40 per cent. of the total surface of the package, or an area considered to be a principal display panel of the package.

(5) Except size of the numbers and letters for declaring net weight, retail sale price, date of expiry or best before or use by date (wherever and as applicable) and consumer care details, the provisions under sub-rules (1) to (4) shall not apply to a package if the information to be specified on such package under this rule is also required to be given by or under any other law for the time being in force.”.

6. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that no such declarations on the inner package is required, if the outer package contains all declarations required under these rules.”.

7. In the said rules, in rule 10, in the sub-rule 1,-

(i) in the first proviso for the figures, words and letters “5 cubic cm or less”, the figures, words and letters “10 cubic cm or less” shall be substituted;

(ii) the *explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after the *Explanation*, as so numbered the following *Explanation* shall be substituted, namely:-

“Explanation 1.- In this sub-rule, 'complete address' means, the postal address at which the factory is situated or company or firm is registered, and, in any other case, the name of the street, number (if any) assigned to the premises of the manufacturer or packer or importer and the name of the city and State where the business is carried on by the manufacturer or packer or importer and the Postal Index Number [PIN] Code so that a consumer can identify and locate the manufacturer or packer or importer, as the case may be.”.

8. In the said rules, in rule 18,-

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) The wholesale dealer shall be allowed to sell the pre-packaged commodities directly to the industrial and institutional consumers.”.

(i) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) Unless otherwise specifically provided under any other law, no manufacturer or packer or importer shall declare different maximum retail prices on an identical pre-packaged commodity by adopting restrictive trade practices or unfair trade practices as defined under clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

9. In the said rules, in rule 19,-

(a) in sub rule (4),-

(i) in clause (a), for the words “the statistical average”, the words “the corrected average” shall be substituted;

(ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(b) the number of packages that show an error in deficiency exceeding the maximum permissible error is greater than that shown in column 4 of Table under Fifth Schedule; or

(c) any such package shows an error in deficiency exceeding twice the maximum permissible error;

(d) the Director, Controller or the Legal Metrology Officer shall require the manufacturer or packer to make a cent per cent check of the packages contained in the lot and authorise sale, distribution or delivery of only such packages with error in deficiency in the net quantity less than the maximum permissible error and the remaining packages shall be allowed to be sold distributed or delivered by the manufacturer or packer after it has been repacked or relabeled, as the case may be, so as to comply with the provisions of the Act and these Rules.”

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

(c) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6) A lot of packages shall be approved for sale if as a result of the test carried out under this rule, it is found that-

(a) the corrected average net quantity of the sample packages is equal to or more than the declared net quantity;

(b) the number of packages that show an error in deficiency exceeding the maximum permissible error is not more than that shown in column 4 of the Table under Fifth Schedule;

(c) no package shows an error in deficiency exceeding twice the maximum permissible error;

(d) every package bears thereon or on a label affixed thereto the declarations required to be made under these rules.”.

10. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:-

“20. Action to be taken on completion of inspection of packages at the premises of the manufacturers or the packer.- (1) If it appears from the report referred to in sub-rule (3) of rule 19 that,-

(a) the corrected average net quantity contained in the packages drawn as samples is lesser than the quantity declared on the package or the label affixed thereto; or

(b) any such packages showing an error in deficiency exceeding the maximum permissible error is greater than the number specified in column 4 of the Table in the Fifth schedule; or

(c) any package has error in deficiency exceeding twice the maximum permissible error; or

(d) any such package does not bear thereon or on label affixed thereto the declarations to be made under these Rules;

the Director, Controller, or the Legal Metrology Officer shall take following action, namely:-

(i) seize the packages drawn by him as samples and take adequate steps for the safe custody of the seized packages until they are produced in the appropriate court as evidence;

(ii) based on the evidence initiate action for violations as per the provisions of the Act and these rules.

(2) The disposal of the seized packages shall be done in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974).”.

11. In the said rules, in rule 26,-

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) it contains scheduled formulations and non-scheduled formulations covered under the Drugs (Price Control) Order, 2013 made under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955):

Provided that no exemption shall be applicable to medical devices declared as drugs.”.

(ii) clause (d) shall be omitted.

12. In the said rules, for rule 32, the following rules shall be substituted, namely:-

“32. Fine for contravention of rules.-

Whoever contravenes any provisions of these rules, for which no punishment is provided, shall be punished with fine of five thousand rupees.

32A. Sum of compounding of offences.- The sum of compounding of offences committed under the Act shall be as specified in the following Table, namely:—

TABLE

Sr. No.	Offence	Compounding amount	
(1)	(2)	(3)	
		If the application for compounding is by retailers or wholesale dealers	If the application for compounding is by manufacturers or importers
1.	Contravention of section 29	Rupees two thousand	Rupees ten thousand
2.	Contravention of sub-section (1) of section 36	Rupees five thousand	Rupees twenty five thousand
3.	Contravention of sub-section (2) of section 36	Rupees ten thousand	Rupees fifty thousand

13. In the said rules, in the Second Schedule, in column (3), against serial number 10, after figures and letter, “500g”, the figures and letters “550 g, 600 g, 650 g” and after figures and letters, “500ml”, the figures and letters “550 ml, 600 ml, 650 ml” shall respectively, be inserted.

14. In the said rules, in the Fifth Schedule,-

(i) in item 1, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“

Serial number	Inspection lot size (1)	Sample size (n) (2)	Correction factor (C) (3)	Number of packages showing an error more than the maximum permissible error but less than twice the maximum permissible error (4)
1.	100 to 500	50	0.379	3
2.	501 to 3200	80	0.295	5
3.	More than 3200	125	0.234	7”.

15. In the said rules, in the Sixth Schedule, in Part-II, after item no 7, the following items shall be inserted, namely:-

“8. Determination of mean or average net quantity or net volume.-

After determining the individual values of net quantity or net volume or length or number of the commodity contained in the package, as per the procedure outlined in item numbers 3 to 6 of this Part, the mean or average value shall be calculated by summing up the individual values (x_i) and dividing it by the number of sample packages (n) taken for testing, by the formula-

$$\text{Average Net value } (\bar{x}) = \sum x_i / n .$$

9. Determination of Standard deviation of values.-

The standard deviation (σ) of individual values [x_i] is determined by the formula -

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2} ; \text{ where ,}$$

x_i = individual values of net quantity or net volume or length or number ,

$\bar{x}$ = average or mean value of net quantity or net volume or length or number.

10. Corrected average net quantity or net volume.-

The corrected average net quantity X_c is determined from the value of average net quantity [$\bar{x}$] by using the formula –

$$X_c = \bar{x} + (\sigma \times C), \quad \text{where C is the correction factor.”}$$

16. In the said rules, in the Seventh Schedule,-

(a) in Form A, in row B, relating to the commodity Classification, for the existing entries in column (2), the following entries in column (2) the following entries be substituted, namely:-

“Lot size: Sample size: Maximum permissible error (g)”

(b) in Form B, in row B relating to the commodity Classification, for the existing entries in column (2), the following entries be substituted, namely:-

“Lot size: Sample size: Maximum permissible error”

[F. No. WM-10(4)/2016]

P. V. RAMA SASTRY Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended, vide, notification number G.S.R. 858 (E), dated the 7th September, 2016.